(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास श्री राजेन्द्रसिंह राजावत (आर ए एस)

प्रकरण सं 01 / 2020 / अपील

उनवान

1 रवि पि राधेश्याम नाबा संरक्षक माता जानीबाई जाति भील नि रायपुर

2 कविता पि राधेश्याम जाति भील नि रायपुर तहसील रायपुर

---अपीलांट

बनाम

1 आशा पि जगदीशचन्द नाबा संरक्षक माता कैलाशबाई जाति भील नि. रायपुर

2 कैलाशबाई बेवा जगदीश जाति भील नि रायपुर

3 नरेन्द्र पि जगदीश नाबा संरक्षक माता कैलाशबाई जाति भील नि. रायपुर

4 बबली पि जगदीश जाति भील नि. रायपुर

5 पानाबाई पि जगदीश जाति भील नि. रायपुर

6 बालचन्द पि. किशनलाल जाति भील नि. रायपुर

7 गिरिराज पि किशनलाल जाति भील नि. रायपुर

8 पूरीबाई पि किशनलाल पत्नि रामनारायण जाति भील नि. अमरपुरा

9 कलीबाई पि किशनलाल पत्नि गोकुल जाति भील नि. गुराडिया

10 गुडडीबाई पि. किशनलाल पत्नि शिवलाल जाति भील नि. असनावर

11 बरधीबाई पि. किशनलाल पत्नि बनेसिंह जाति भील नि. भंवरासा

12 राहुल माता धापूबाई नाबा.संरक्षक पिता हीरालाल जाति भील नि. छोटी सोयत

13 रामप्यारीबाई बेवा किशनलाल जाति भील नि. रायपुर

14 देवकन्याबाई पत्नि श्रीराम जाति भील नि. रायपुर

15 गोपाल पि. बालाराम जाति भील नि. रायपुर

16 ग्राम पंचायत रायपुर पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

--- रेस्पोंडेन्टस

अपील बराराजगी आदेश दिनांक 06.08.2010
नामा0सं. 2194 ग्राम पंचायत रायपुर

उपस्थिति -- वकील अपीलांटस -- श्री सुभाष दांगी

वकील रस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3, 6, 12, 13 -- श्री कालूराम मेघवाल

COURT 2021

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

आदेश दिनांक : 24/02/2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा निर्णित नामा.सं. 2194 दिनांक 06.08.2010 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 320 की आराजी ख.नं. 537 व खाता सं. 217 की आराजी ख.नं. 538 , 539 की भूमि के संबंध में दर्ज किये गये नामा.सं. 2194 के विरूद्ध अपील पेश की है। अपीलांटस के दादाजी खातेदार किशनलाल वर्ष 2010 में फोत हुये एवं अपीलांटस के पिता राधेश्याम दिनांक 12.05.2002 में फोत हुये है। अपीलांटस के दादाजी किशनलाल के फोती नामान्तरण के शजरे में अपीलांटस का नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि अपीलांटस किशनलाल के स्व.पुत्र राधेश्याम के वैध वारीसान थे। अपीलार्थी का पारिवारिक शजरा निम्नानुसार है –

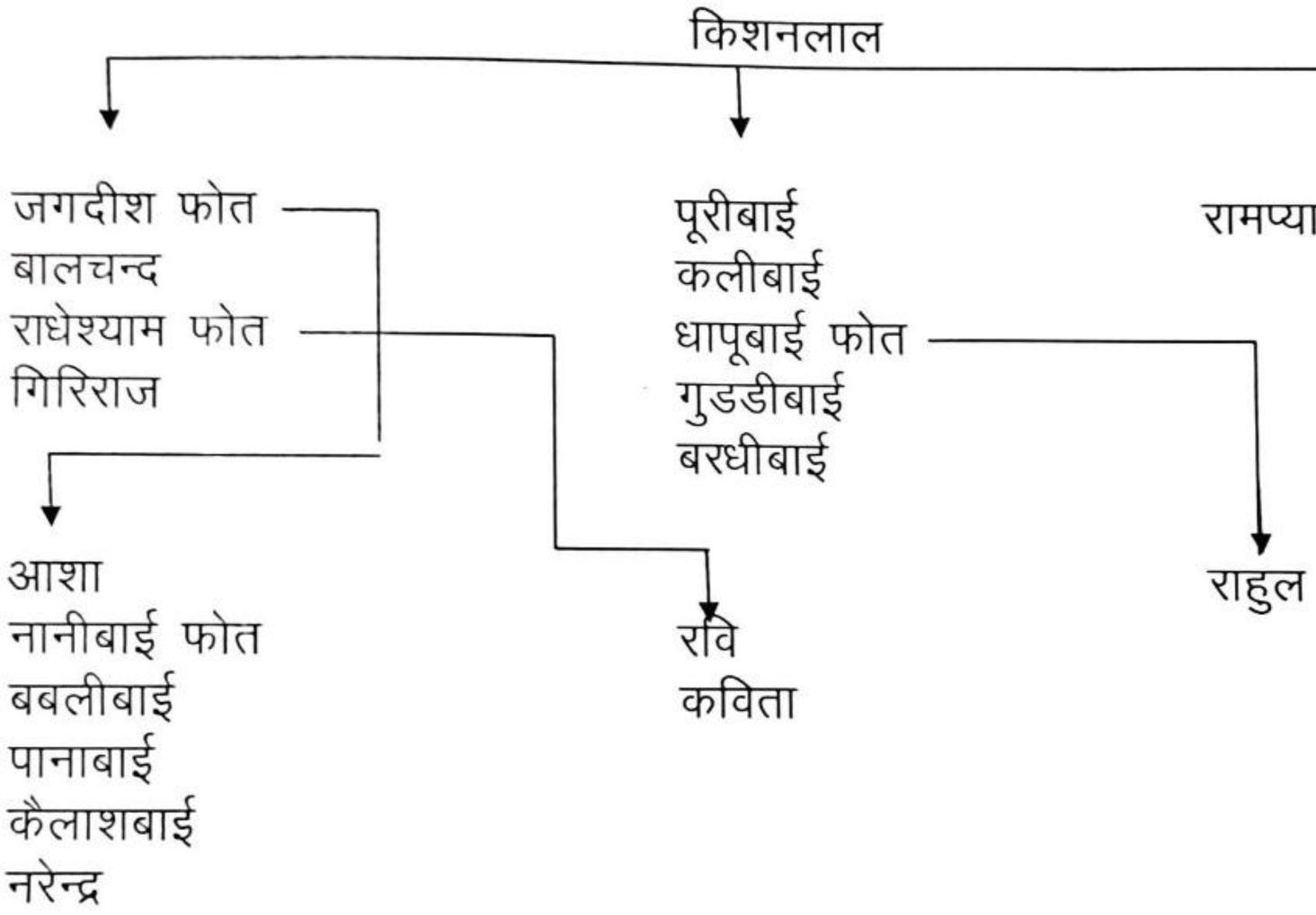

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक किशनलाल के वारीसान की सही जांच किये बिना अपीलांटस को सुने बिना नामा.सं. 2194 तस्दीक कर दिया। मृतक खातेदार किशनलाल के चार पुत्र , पांच पुत्रियां , एक बेवा है इस प्रकार प्रत्येक वारीसान का वादग्रस्त आराजी में 1/10 हक व हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी पुश्तेनी है जिसमें मृतक खातेदार किशनलाल के सभी वैध वारीसान का पारिवारिक शजरा नामा.सं. 2194 में नहीं बनाया गया जिससे उक्त नामा.सं. 2194 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम रायपुर द्वारा निर्णित नामा.सं. 2194 दिनांक 06.

COURT 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 16:02:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by TapScanner

(4)

08.2010 को निरस्त कर ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.न. 537 , 538 , 539 में अपीलांटस को 1/10 हिस्से का खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ ग्राम रायपुर के खाता सं. 320 व 217 की नकल एवं नामा.सं. 2194 की नकल , राधेश्याम का मृत्यु प्रमाण पेश किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब करने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3, 6, 12, 13 की ओर से श्री कालूराम मेघवाल एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया।

दौराने अपील अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस सं. [redacted], 2, [redacted] 6, 12, 13 उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर अपील अपीलांटस स्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.न. 537 , 538 , 539 मृतक खातेदार किशनलाल के खाते की थी जिसमें किशनलाल के सभी वैध वारीसान का हक एवं हिस्सा निहित था परन्तु ग्राम रायपुर का नामा.सं. 2194 दर्ज करते एवं तस्दीक करते समय वारीसान की बिना किसी विधिक जांच किये , उक्त नामान्तरण को तस्दीक कर दिया जो कि गलत है। अपीलांटस मृतक खातेदार किशनलाल के वैध वारीसान है जिनका वादग्रस्त आराजी में हक व हिस्सा निहित है। इसलिये ग्राम रायपुर के नामा.सं. 2194 को न्यायहित में खारीज किया जाना उचित है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.न. 537 , 538 , 539 भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 2194 दि. 06.08. 2011 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर नये सिरे से मृतक खातेदार किशनलाल के वैध वारीसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner